



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय  
Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya  
(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)  
(A Central University established by Parliament by Act No. 3 of 1997)  
नेक द्वारा 'A' ग्रेड प्राप्त Accredited with 'A' Grade by NAAC

कादर नवाज़ ख़ान  
कार्यकारी कुलसचिव  
Kadar Nawaz Khan  
Acting Registrar

दूरभाष/Phone : +91-7152-230902  
फैक्स / Fax: + 91-7152-247602

क्रमांक : 003 / 2003 / का.आ. / 02-176 / 2020  
दिनांक : 02.09.2020

## सूचना

वर्धा शहर में बढ़ रहे कोरोना संकट, अनलॉक-4 के अंतर्गत हटाई गयी आवागमन की पाबंदियां और इसी दौरान विश्वविद्यालय के छात्रावास में विलगीकृत मरीज़ के मृत्यु के समाचार को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय के छात्रावास में रह रहे अंतःवासियों को सूचित किया जाता है कि छात्रावास में आरक्षित विलगीकरण केंद्र, राजगुरु छात्रावास से सम्यक दूरी बनाएं रखें तथा अपनी स्वास्थ्य सुरक्षा के संबंध में अधिक सावधानियाँ बरतें।

सुरक्षा अधिकारी को निर्देशित किया जाता है छात्रावास तथा विश्वविद्यालय परिसर में आगंतुकों की थर्मल स्कैनिंग द्वारा उचित जाँच उपरांत ही उन्हें परिसर में प्रवेश दें।

इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

कादर नवाज़  
(कुलसचिव)  
02/09/2020

प्रति (ईमेल द्वारा) :

1. कुलपति कार्यालय
2. प्रतिकुलपति कार्यालय
3. कुलानुशासक
4. जिलाधिकारी, वर्धा
5. जिला शल्य चिकित्सा अधिकारी, वर्धा
6. समस्त छात्रावास अधीक्षक (आवश्यक कार्रवाई हेतु)
7. सुरक्षा अधिकारी (आवश्यक कार्रवाई हेतु)
8. संबंधित पत्रावली

प्रभारी लीला  
कृपया थपलॉड करें.  
02/09/2020